

|         |      |   |   |
|---------|------|---|---|
| एस. एल. | तिथि | कार्यालय टिप्पणी,<br>संख्या<br>रिपोर्ट, आदेश<br>या कार्यवाही या<br>दिशाएँ<br>और निबंधक<br>के साथ आदेश<br>हस्ताक्षर के साथ | न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश   |
|         |      |   | <p>बीए 1 सं. 1692 सन 2023</p> <p><b>माननीय राकेश थपलियाल, जे.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सुश्री शीतल सेलवाल, आवेदक की विद्वान अधिवक्ता।</li> <li>2. श्री सौरभ पांडे, राज्य के लिए ब्रीफ होल्डर।</li> <li>3. आवेदक पुलिस स्टेशन गोपेश्वर, जिला चमोली में दर्ज धारा 409, 420 और 120 बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केस अपराध संख्या 0011/2023 के संबंध में जमानत की मांग कर रहा है।</li> <li>4. आवेदक के वकील का कहना है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और उसका नाम एफआईआर में नहीं है। आवेदक दिनांक 10.04.2023 से जेल में बंद है और उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के बाद आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। इसके अलावा, आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि चूंकि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए आवेदक को जेल में बंद करने का कोई औचित्य नहीं है और सभी अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त अभिषेक चौहान को इस न्यायालय ने दिनांक 11.12.2023 के आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी है और वह समानता की मांग कर रही है।</li> <li>5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि पूरी जांच के बाद और विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र करने के बाद आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हालाँकि, इस तथ्य पर राज्य वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और यह समानता का मामला है।</li> <li>6. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मानना है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>मामला है। तदनुसार, जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।</p> <p>7. आवेदक पंकज कुमार को व्यक्तिगत बांड भरने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।</p> <p style="text-align: right;"><b>(राकेश थपलियाल, जे.)</b><br/>19.12.2023</p> <p>एस.के.एस.</p> |
|--|--|---|